भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *345
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना का कार्यान्वयन

***345. डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:**
श्री सी. एन. अन्नादुरई:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है , यदि हां, तो तमिलनाडु सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित व्यक्तियों का ब्यौरा और उनकी राज्य और संघ राज्यक्षेत्रवार कुल संख्या कितनी है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं का ब्यौरा और राज्य और संघ राज्यक्षेत्रवार उनकी कुल संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने कार्यक्रम पूरा होने के बाद प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य और संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) आंध्र प्रदेश तथा विशेषकर चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरै जिलों सहित तमिलनाडु में उक्त योजना के तहत कितने प्रशिक्षण केंद्र खोले गए और ग्रामीण युवाओं को किस-किस प्रकार से प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा उक्त योजना के तहत आवंटित और व्यय की गई राशि का राज्य और संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(च) क्या तमिलनाडु में ग्रामीण युवाओं के लिए उक्त योजना के अंतर्गत कोई विशेष शिक्षा या कौशल विकास परियोजना तैयार की गई है , यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या वैश्विक महामारी के बाद तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित लोगों की संख्या और दी गई नियुक्तियों में कोई गिरावट देखी गई है , यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्याख सुधारात्मयक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्री

(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तिर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 345 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क), ख), और घ) महोदय, दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही एक जारी योजना है। यह योजना 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के रोजगार से जुड़ा एक बाजार प्रेरित कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल से सशक्त बनाती है और नियमित श्रम बाजारों में उनकी भागीदारी को सुविधाजनक बनाती है , इस प्रकार उन्हें न्यूनतम मजदूरी पर या उससे अधिक नियमित मासिक मजदूरी वाले रोजगार उपलब्ध् कराए जाते हैं।

दीन दयाल उपाध्याय-ग्रामीण कौशल्य योजना कार्यान्वयन के लिए 3-स्तरीय कार्यान्वयन संरचना का पालन करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय नीति , केंद्रीय अंश के वित्तपोषण और तकनीकी सहायता के लिए उत्तरदायी है , जबकि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम)/राज्य कौशल मिशन (एसएसएम) राज्य अंश के वित्तपोषण , कार्यान्वयन और निगरानी नियंत्रणों के लिए उत्तरदायी हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां (पीआईए), जो अधिकांशत: निजी प्रशिक्षण साझेदार होती हैं, अभ्यर्थियों को जुटाने प्रशिक्षण और रोजगार के लिए उत्तरदायी हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य सहित प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यिर्थियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थियों का राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

ङ) डीडीयू-जीकेवाई के तहत युवाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण, कौशल विकास और उयमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के राष्ट्रीओय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीईटी) की राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति (एनएसक्यूसी) द्वारा अनुमोदित योग्यता पैक पर आधारित है। प्रशिक्षण में सिद्धांत , व्याएवहारिक और कार्यस्थरल पर प्रशिक्षण (ओजेटी) शामिल है, जिसमें डोमेन कौशल, कंप्यूटर कौशल, सॉफ्ट कौशल और अंग्रेजी कौशल प्रदान किए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष रूप से चेन्नई , कोयंबटूर और मदुरै जिलों में सक्रिय प्रशिक्षण केंद्रों का ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है और पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आबंटित तथा व्यय/जारी की गई निधियों का ब्यौरा **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

च) तमिलनाडु में डीडीयू-जीकेवाई के तहत कोई विशेष शिक्षा या कौशल विकास परियोजना तैयार नहीं की गई है।

छ) महामारी के बाद इस योजना के तहत प्रशिक्षित और नियुक्त लोगों की संख्या में गिरावट आई है। हालांकि, इस संबंध में सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं:

- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना कार्यान्वयन अवधि को 3 से 6 वर्ष तक बढ़ाने की अनुमति दी गई।
- कौशल भारत मोबाइल ऐप के माध्यम से नियोजन सत्यापन करने के लिए वैकल्पिक प्रक्रिया का प्रावधान किया गया।
- उपरोक्त के अलावा , मंत्रालय ने अभ्यर्थियों के सुनिश्चित नियोजन के लिए योजना के तहत कैप्टिव रोजगार कार्यक्रम शुरू किया है।
- मंत्रालय ने नियोजन अवधि बढ़ाने, कार्यान्वयन एजेंसियों को बैच-मोड भुगतान आदि के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों को भी संशोधित किया है। डीडीयूजीकेवाई का संशोधित संस्करण 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा।
- अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए , केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 750 करोड़ (अनुमानित) का आवंटन रखा गया है और लगभग 1,49,000 अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण लक्ष्य रखा गया है।

सुधारात्मक कदम उठाने के बाद , प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 345 के भाग (क),(ख) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षित और नियोजित राज्यवार अभ्यर्थी:

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 21-22		2022-23		2023-24		2024-25 (फरवरी 24 तक)	
		प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित	प्रशिक्षित	नियोजित
1	आंध्र प्रदेश	1606	2135	18616	17070	19829	18045	9625	8823
2	अरुणाचल प्रदेश	233	71	608	292	678	315	538	212
3	असम	3553	916	12473	6683	10615	8055	5082	3191
4	बिहार	7099	2491	11516	8872	6681	7040	1569	1630
5	छत्तीसगढ़	6499	2883	9742	8246	3045	3917	1002	1624
6	गुजरात	830	599	2912	1455	3960	2718	2762	2121
7	हरियाणा	1772	680	5554	2729	8478	4718	3728	2636
8	हिमाचल प्रदेश	334	10	3967	2231	4324	3241	2344	1603
9	जम्मू और कश्मीर	2300	1102	5459	2705	1177	1212	1336	464
10	झारखंड	4035	1354	10228	7432	11387	8405	5831	3672
11	कर्नाटक	1442	673	3757	2719	3795	2488	1578	1325
12	केरल	3219	1097	8623	5145	5144	3943	2456	1813
13	मध्य प्रदेश	6825	3977	15653	11230	12107	10568	4402	3818
14	महाराष्ट्र	348	1612	7103	3721	6157	3821	6037	2926
15	मणिपुर	811	139	1921	1279	782	806	63	325
16	मेघालय	456	241	2165	1324	1630	1328	1301	369
17	मिजोरम	105	94	344	322	725	495	693	335
18	नागालैंड	1009	614	2371	1405	1651	1586	749	458
19	ओडिशा	10474	4828	16778	12889	3997	5220	801	1096
20	पंजाब	6976	4188	8121	6961	11803	8845	714	3053
21	राजस्थान	3096	3130	6092	6216	7233	3964	4375	3176
22	सिक्किम	90	0	859	385	1123	690	244	379
23	तमिलनाडु	8228	2941	15225	10544	13411	9848	4893	3776
24	तेलंगाना	3177	2494	4660	3718	25	220	2252	354
25	त्रिपुरा	1049	193	2244	1162	2126	1346	853	539
26	उत्तर प्रदेश	16898	3765	36540	21831	45296	32748	15684	11302
27	उत्तराखंड	3645	917	8248	4400	6027	5370	1764	2631
28	पश्चिम बंगाल	732	2424	9406	4779	4990	6002	2214	1339
29	पुदुचेरी	165	44	844	347	956	918	391	363
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	133	38	547	224	172	138
	कुल	**97006**	**45612**	**232162**	**158130**	**199699**	**158096**	**85453**	**65491**

स्रोत:कौशल भारत पोर्टल

अनुबंध-II

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 345 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत राज्यवार प्रशिक्षित महिला अभ्यर्थी:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (फरवरी 25 तक)
		प्रशिक्षित महिला	प्रशिक्षित महिला	प्रशिक्षित महिला	प्रशिक्षित महिला
1	आंध्र प्रदेश	565	8276	9892	4978
2	अरुणाचल प्रदेश	227	406	418	419
3	असम	2666	8896	8794	4346
4	बिहार	4021	6752	4211	1223
5	छत्तीसगढ़	4505	6698	2154	984
6	गुजरात	454	1713	2670	2081
7	हरियाणा	1019	2692	4541	1962
8	हिमाचल प्रदेश	161	2445	2769	1576
9	जम्मू और कश्मीर	1091	2968	599	536
10	झारखंड	3624	8464	8244	4240
11	कर्नाटक	988	1977	2222	784
12	केरल	1555	4334	2501	1200
13	मध्य प्रदेश	4556	9767	7671	3218
14	महाराष्ट्र	204	3818	3588	3530
15	मणिपुर	595	1155	358	41
16	मेघालय	254	1262	1311	938
17	मिजोरम	116	203	427	442
18	नागालैंड	477	1223	885	357
19	ओडिशा	7856	11312	3117	652
20	पंजाब	3601	4572	7159	443
21	राजस्थान	1853	3443	5147	3519
22	सिक्किम	30	468	694	176
23	तमिलनाडु	4772	8675	8191	2965
24	तेलंगाना	1635	2116	25	834
25	त्रिपुरा	400	980	939	259
26	उत्तर प्रदेश	8565	19528	26626	9981
27	उत्तराखंड	2336	5219	3770	1173
28	पश्चिम बंगाल	230	3503	2376	1150
29	पुदुचेरी	87	647	612	235
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	7	339	47
कुल		**58443**	**133519**	**122250**	**54289**

स्रोत: कौशल भारत पोर्टल

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 **को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या** 345 **के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सहित राज्यवार सक्रिय प्रशिक्षण केंद्र:

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	सक्रिय **प्रशिक्षण केंद्र**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4
2	**आंध्र प्रदेश**	**39**
3	अरुणाचल प्रदेश	7
4	असम	25
5	बिहार	11
6	छत्तीसगढ़	10
7	गुजरात	23
8	हरियाणा	26
9	हिमाचल प्रदेश	22
10	जम्मू और कश्मीर	20
11	झारखंड	35
12	कर्नाटक	29
13	केरल	28
14	मध्य प्रदेश	33
15	महाराष्ट्र	67
16	मणिपुर	7
17	मेघालय	7
18	मिजोरम	4
19	नागालैंड	6
20	ओडिशा	14
21	पुदुचेरी	3
22	पंजाब	38
23	राजस्थान	26
24	सिक्किम	2
25	**तमिलनाडु**	**30**
26	तेलंगाना	76
27	त्रिपुरा	7
28	उत्तर प्रदेश	102
29	उत्तराखंड	10
30	पश्चिम बंगाल	53
31	**कुल**	**764**

चेन्नई,कोयम्बटूर और मदुरै में खोले गए प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या:

क्र.सं.	जिला	प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या	आवासीय की संख्या	गैर आवासीय की संख्या
1	चेन्नई	38	38	0
2	कोयंबटूर	18	18	0
3	मदुरै	19	17	2
कुल		**75**	**73**	**2**

स्रोत: राज्य से प्राप्त जानकारी

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 345 के भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित और जारी निधि:

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25 (फरवरी 2025 तक)
	आवंटित निधि	21.89	94.05	383.72	500.00
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	43.51	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.54	5.29
4	असम	3.14	0.00	22.10	37.50
5	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00
6	छत्तीसगढ़	0.91	0.00	0.20	13.94
7	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
9	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	8.05
10	हिमाचल प्रदेश	0.74	26.66	26.32	16.27
11	जम्मू एवं कश्मीर	1.17	0.59	0.00	0.00
12	झारखंड	0.00	16.83	27.86	32.92
13	कर्नाटक	0.97	0.45	0.22	0.00
14	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
15	मध्य प्रदेश	0.00	20.97	21.69	60.02
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.26	0.00
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.17	0.00
18	मेघालय	0.70	0.43	12.47	5.29
19	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.13	9.81
21	ओडिशा	0.00	1.76	36.30	0.00
22	पुदुचेरी	0.47	0.36	4.40	1.75
23	पंजाब	0.00	16.48	9.30	28.72
24	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	14.50
25	सिक्किम	0.00	0.00	6.74	3.12
26	तमिलनाडु	0.00	0.51	18.76	0.00
27	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	0.00
28	त्रिपुरा	0.58	0.37	0.17	0.00
29	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
30	उत्तराखंड	0.00	0.44	0.42	0.00

31	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.16	0.00
कुल		8.70	85.83	231.72	237.18

स्रोत: ग्रामीण कौशल प्रभाग के रिकॉर्ड